"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 458] नवा रायपुर, बुधवार, दिनांक 28 मई 2025 —— ज्येष्ठ 7, शक 1947

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 28 मई 2025

क्रमांक 4443/डी. 70/21-अ/प्रारू./छ. ग./25. — छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर दिनांक 13-05-2025 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल सिन्हा, उप-सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 16 सन् 2025)

छत्तीसगढ़ लोकतंत्र सेनानी सम्मान अधिनियम, 2025.

खण्ड

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.
2. परिभाषाएं.
3. सम्मान राशि की पात्रता.
4. सम्मान राशि की अपात्रता.
5. सम्मान राशि का नियतन.
6. आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की रीति.
7. सम्मान राशि स्वीकृत करने की शक्ति तथा प्रक्रिया.
8. अभ्यावेदन.
9. सम्मान राशि के आदेश का निरस्त किया जाना.
10. नियम बनाने की शक्ति.
11. कठिनाइयाँ दूर करने की शक्ति.

छत्तीसगढ़ अधिनियम
(क्रमांक 16 सन् 2025)

छत्तीसगढ़ लोकतंत्र सेनानी सम्मान अधिनियम, 2025.

ऐसे लोकतंत्र सेनानियों को, जिन्हें 25 जून, 1975 से 31 मार्च, 1977 के अपातकाल के दौरान आंतरिक सुरक्षा अधिनियम, 1971 (1971 का 26) (निरसित) तथा भारत रक्षा नियम, 1971 (निरसित) के उपबंधों के अधीन विनिर्दिष्ट प्रतिबंधित गतिविधियों के लिए जेलों या पुलिस थानों में निरूद्ध किया गया था, सम्मान राशि, सुविधाएं तथा संबंधित विषयों का उपबंध करने हेतु **अधिनियम।**

भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.

1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ लोकतंत्र सेनानी सम्मान अधिनियम, 2025 कहलायेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा।

(3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।

परिभाषाएँ.

2. इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(क) "**समिति**" से अभिप्रेत है धारा 7 के अधीन गठित समिति;

(ख) "**डी.आई.आर.**" से अभिप्रेत है भारत रक्षा नियम, 1971 (निरसित);

(ग) "**आपातकाल अवधि**" से अभिप्रेत है 25 जून, 1975 से प्रारंभ होकर 31 मार्च, 1977 तक की अवधि;

(घ) "**लोकतंत्र सेनानी**" से अभिप्रेत है ऐसा व्यक्ति, जो छत्तीसगढ़ का मूल निवासी हो और आपातकाल की अवधि के दौरान राजनैतिक और/या सामाजिक कारणों से मीसा या डी.आइ.आर. के अधीन इतनी न्यूनतम विहित अवधि तक, जैसा कि राज्य सरकार नियत करे, जेल या पुलिस थाने में निरूद्ध रहा हो;

(ङ) "**सम्मान राशि**" से अभिप्रेत है ऐसी राशि, जो लोकतंत्र सेनानी को सम्मान के रूप में प्रदान की जाए, जैसा कि राज्य सरकार नियम द्वारा, समय–समय पर निर्धारित करे।

(च) "मीसा" से अभिप्रेत है आंतरिक सुरक्षा अधिनियम, 1971 (1971 का 26)(निरसित),

सम्मान राशि की पात्रता.

3. निम्नलिखित व्यक्ति, अपने संपूर्ण जीवनकाल के लिए सम्मान राशि प्राप्त करने के पात्र होंगे,–

(एक) लोकतंत्र सेनानी;

(दो) दिवंगत लोकतंत्र सेनानी के पति या पत्नी को, विनिर्दिष्ट सम्मान राशि के आधे की पात्रता होगी।

सम्मान राशि की अपात्रता.

4. निम्नलिखित व्यक्ति सम्मान राशि प्राप्त करने के लिए अपात्र होंगे :–

(एक) कोई व्यक्ति, जो सामाजिक और/या राजनीतिक कारणों से मीसा या डी.आई.आर के अधीन विशेष रूप से जेल या पुलिस थाने में निरूद्ध ना किये गये हो;

(दो) कोई व्यक्ति, जिसने सम्मान राशि व सुविधाएँ प्राप्त करने के लिए अपनी या किसी अन्य व्यक्ति का अधिकार स्थापित करने के संबंध में मिथ्या जानकारी या प्रमाण–पत्र या गलत ब्यौरे प्रस्तुत किये हों।

सम्मान राशि का नियतन.

5. (1) लोकतंत्र सेनानी अथवा उसका पति या उसकी पत्नी जिला मजिस्ट्रेट या राज्य शासन द्वारा जारी स्वीकृति आदेश की तारीख से सम्मान राशि प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे।

(2) लोकतंत्र सेनानी के अंतिम संस्कार के समय में दिया जाने वाला सम्मान, चिकित्सा एवं अन्य सुविधाएं ऐसी होंगी, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर विहित किया जाए।

आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की रीति.

6. लोकतंत्र सेनानी, राजनैतिक या सामाजिक कारणों से जेल या पुलिस थाने में निरूद्ध रहने के प्रमाण पत्र के साथ, ऐसे प्रारूप में जैसा कि विहित किया जाए, आवेदन करेगा। जेल की दशा में, जेल अधीक्षक तथा पुलिस थाने की दशा में, जिला पुलिस अधीक्षक का प्रमाण पत्र संलग्न कर संबंधित जिला मजिस्ट्रेट को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

सम्मान राशि स्वीकृत करने की शक्ति तथा प्रक्रिया.

7. (1) जिला स्तर पर, सम्मान राशि की स्वीकृति के लिए प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच और आवेदक की पात्रता अथवा अपात्रता की अनुशंसा करने हेतु ऐसी समिति गठित की जाएगी, जैसा कि इस अधिनियम के अधीन निर्मित नियमों द्वारा विहित किया जाए।

(2) समिति की अनुशंसा के आधार पर, जिला मजिस्ट्रेट द्वारा सम्मान राशि स्वीकृत या अस्वीकृत किए जाने का आदेश जारी किया जाएगा।

(3) दिवंगत लोकतंत्र सेनानी के पति या पत्नी को स्वीकृत सम्मान राशि का संदाय, उसकी मृत्यु पर स्वतः ही बंद हो जाएगा।

(4) यदि जेल में निरूद्ध होने या जेल से छूटने का अभिलेख उपलब्ध है और जेल अधीक्षक प्रमाणित करता है कि जेल में, शेष सुसंगत अभिलेख उपलब्ध नहीं हैं, तो ऐसे निरूद्ध रहने की अवधि को न्यूनतम अवधि मानकर सम्मान राशि स्वीकृत की जाएगी।

(5) दिवंगत लोकतंत्र सेनानी के पति या पत्नी को उनकी सम्मान राशि की स्वीकृति के लिए मात्र सूचना देनी होगी, इन प्रकरणों में, विहित प्रारूप में आवेदन देने की आवश्यकता नहीं है।

8. समिति की अनुशंसाओं के आधार पर जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किए गए आदेश से व्यथित कोई संबंधित व्यक्ति, आदेश की तारीख से 30 दिन के भीतर राज्य सरकार को ऐसे प्रारूप में, जैसा कि विहित किया जाए अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकेगा। राज्य सरकार, अभ्यावेदन प्राप्ति की तारीख से 45 दिन के भीतर गुणदोष के आधार पर अभ्यावेदन पर विचार करेगी और उसका विनिश्चय करेगी और राज्य सरकार का विनिश्चय अंतिम एवं संबंधित व्यक्ति पर बंधनकारी होगा। अभ्यावेदन.

9. (1) इस अधिनियम के अधीन स्वीकृत सम्मान राशि का आदेश, निम्नलिखित आधारों पर रोका या निरस्त किया जा सकेगा :— सम्मान राशि के आदेश का निरस्त किया जाना.

(क) लोकतंत्र सेनानी की भागीदारी या उसके पति या पत्नी द्वारा दिए गए आवेदन की दशा में, उसका नैतिक अधमता के किसी अपराध तथा राष्ट्र विरोधी क्रियाकलापों में भाग लेना;

(ख) किसी अपराध में दण्ड;

(ग) अधिनियम के अधीन किसी अपात्रता के बाद भी सम्मान राशि प्राप्त करना;

(घ) मिथ्या जानकारी तथा मिथ्या शपथ—पत्र प्रस्तुत करना।

(2) उप—धारा (1) में उल्लिखित आधारों या किसी सुसंगत शिकायत या अभ्यावेदन या स्वप्रेरणा से प्राप्त की गई सूचना के आधार पर, समिति सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात्, उस संबंधित व्यक्ति के प्रकरण की, जिसकी सम्मान राशि स्वीकृत की गई है, जांच कर सकेगी। जिला मजिस्ट्रेट को समिति की अनुशंसा के उपरांत स्वीकृति आदेश निरस्त करने का अधिकार होगा।

इस आदेश से व्यथित संबंधित व्यक्ति अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकेगा, जो धारा 8 के उपबंधों के अनुसार निराकृत किया जा सकेगा।

(3) यदि कोई व्यक्ति, जो मिथ्या दस्तावेजों के आधार पर सम्मान राशि या सुविधाएं प्राप्त करता है, तो यह उससे भू–राजस्व बकाया के रूप में वसूली योग्य होगा।

नियम बनाने की शक्ति.

10\. (1) राज्य सरकार पूर्व प्रकाशन की शर्त के अध्यधीन, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के प्रयोजन हेतु नियम बना सकेगी।

(2) विशिष्टतया तथा पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित समस्त या इनमें से किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात् :–

(क) धारा 2 के खण्ड (घ) के अधीन जेल या पुलिस थाने में निरुद्ध रहने की न्यूनतम कालावधि;

(ख) धारा 5 की उप–धारा (2) के अधीन अंतिम संस्कार के समय सम्मान, चिकित्सीय एवं अन्य सुविधाएँ;

(ग) धारा 6 के अधीन सम्मान राशि प्रदान करने के लिए प्रस्तुत किए जाने वाले आवेदन पत्र का प्ररूप;

(घ) धारा 7 की उप–धारा (1) के अधीन गठित की जाने वाली समिति का स्वरूप;

(ङ) धारा 8 के अधीन प्रस्तुत किए जाने वाले अभ्यावेदन का प्ररूप;

(च) कोई अन्य विषय, जो कि विहित किया गया हो या समय–समय पर निर्धारित किया जाए।

(3) इस अधिनियम के अधीन निर्मित प्रत्येक नियम विधान सभा के समक्ष रखा जाएगा।

कठिनाइयाँ दूर करने की शक्ति.

11\. (1) इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने में यदि कोई कठिनाई उद्भूत होती है, तो राज्य सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, इस अधिनियम की भावना और आशय से असंगत न हो, ऐसे उपबंध कर सकेगी जैसे कि कठिनाई को दूर करने के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों:

परन्तु ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख से दो वर्ष के अवसान के पश्चात् नहीं किया जाएगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, इसके निर्मित किए जाने के पश्चात्, यथाशक्य शीघ्र विधान सभा के समक्ष रखा जाएगा।

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 28 मई 2025

क्रमांक 4443/डी. 70/21-अ/प्रारू./छ. ग./25. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ लोकतंत्र सेनानी सम्मान अधिनियम, 2025 (क्रमांक 16 सन् 2025) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल सिन्हा, उप-सचिव.

CHHATTISGARH ACT
(No. 16 of 2025)

THE CHHATTISGARH LOKTANTRA SENANI SAMMAN ADHINIYAM, 2025.

CONTENTS

Sections:

1. Short title, extent and commencement.
2. Definitions.
3. Eligibility of honour money.
4. Ineligibility of honour money.
5. Fixation of honour money.
6. Manner of submitting application.
7. Power and process of sanction of honour money.
8. Representation.
9. Cancellation of order of honour money.
10. Powers to make rules.
11. Powers to remove difficulties.

CHHATTISGARH ACT
(No. 16 of 2025)

THE CHHATTISGARH LOKTANTRA SENANI SAMMAN ADHINIYAM, 2025.

An Act for making provisions of honour money, facilities and related issues for the fighters of democracy, who were detained in jails or police stations for specified prohibited activities under the provisions of the Maintenance of Internal Security Act, 1971 (No. 26 of 1971) (repealed) and Defence of India Rules, 1971 (repealed) during the emergency period from 25th June, 1975 to 31st March, 1977.

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Seventy-sixth year of the Republic of India, as follows:-

Short title, extent and commencement.

1. (1) This Act may be called the Chhattisgarh Loktantra Senani Samman Adhiniyam, 2025.

(2) It extends to the whole of the State of Chhattisgarh.

(3) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

Definitions.

2. In this Act, unless the context otherwise requires,-

(a) "**Committee**" means Committee constituted under Section 7;

(b) "**D.I.R**" means the Defence of India Rules, 1971 (repealed);

(c) "**Emergency Period**" means the period commencing from 25th June, 1975 to 31st March, 1977;

(d) "**Fighters of Democracy**" it means person who is domicile of Chhattisgarh and detained in jails or police stations for which minimum prescribed period shall be determined by the State Government under MISA or D.I.R. for political and/or social reasons during emergency period;

(e) "**Honour Money**" means such money awarded as honour to the fighters of democracy which shall be determined by the rule made by the State Government from time to time;

(f) "**MISA**" means the Maintenance of Internal Security Act, 1971 (No. 26 of 1971) (repealed).

Eligibility of honour money.

3. (1) Following shall be eligible to get honour money for their lifetime,–

(i) fighters of democracy;

(ii) spouses of deceased fighters of democracy, shall be eligible for half of the specified honour money.

Ineligibility of honour money

4. The following shall be ineligible to get honour money:–

(i) a person not specifically detained in jail or police station for political and/or social reasons under MISA or D.I.R.;

(ii) a person who has produced false information or certificate or wrong details in respect of establishing his or other right to receive honour money and facilities.

Fixation of honour.

5. (1) Fighter of democracy or his/her spouse shall be eligible to get honour money from the date of sanction order issued by the District Magistrate or State Government.

(2) The honour at the time of funeral, medical and other facilities, given to the fighters of democracy, given to the fighters of democracy, shall be such as may be prescribed by the State Government from time to time.

Manner of submitting application.

6. Fighters of democracy shall apply in such form as may be prescribed along with certificate of detention in the jail or police station for political or social reasons. In case of jail, a certificate of Superintendent of Jail, and in case of police station a certificate of Superintendent of Police shall

be compulsorily attached and presented to the concerned District Magistrate.

7. (1) To scrutinize applications received for sanction of honour money at district level, and to recommend about eligibility or non-eligibility of applicant, such committee shall be constituted as may be prescribed by rules made under this act.

Power and process of sanction of honour money.

(2) The sanction or rejection order of honour money shall be issued by the District Magistrate on the basis of Committee's recommendation.

(3) Payment of honour money sanctioned to spouse of deceased fighter of democracy shall automatically stop upon his/her death.

(4) If any record of Confinement in jail or release from jail is available and Jail Superintendent certifies that the remaining relevant record is not available in jail, then the minimum period of detention shall be deemed and honour money shall be sanctioned.

(5) Spouses of deceased fighters of democracy shall provide information only to sanction their honour money, in these cases application in prescribed format are not required.

Representation 8. Any concerned person aggrieved by the order issued by the District Magistrate on the basis of recommendations of the Committee, may submit his representation to the State Government within 30 days from the date of order in such form as may be prescribed. The State Government shall consider and decide the representation on merit basis within 45 days from the date of receipt of representation and decisions of the State Government shall be final and binding on concerned person.

Cancellation of order of honour money. 9. (1) The order of sanction of honour money under this Act may be withheld or cancelled on the following grounds:–

(a) participation of fighter of democracy or in case of application by his/her spouse, participation of such spouse in any crime of moral turpitude and in anti-national activity;

(b) punishment in any offence;

(c) receiving the honour money despite any ineligibility under the Act;

(d) submission of false information and false affidavit.

(2) On the basis of grounds mentioned in sub-section (1) or any relevant complaint or representation or suo motu information received, the Committee after giving reasonable opportunity of hearing may enquire the case of concerned person whose honour money has been sanctioned. After recommendation of the Committee, the right to cancel order of sanction shall vest with the District Magistrate. The concerned person aggrieved by this order may submit his representation that may be disposed as per provisions of Section 8.

(3) if any person who received honour money or facilities on the basis of false documents shall be recoverable as arrears of land revenue.

10. (1) The State Government may subject to the condition of previous publication, make rules for the purposes of carrying out of the provisions of this Act. **Powers to make rules.**

(2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may provide for all or any of the following matters, namely:–

(a) Minimum prescribed period of detention in jails and police stations under clause (d) of Section 2;

(b) honour at the time of funeral, medical and other facilities under sub-section (2) of Section 5;

(c) form of application to be submitted for grant of honour money under Section 6;

(d) the structure of committee to be constituted under sub-section (1) of Section 7;

(e) form of representation to be submitted under Section 8;

(f) any other matter which has to be or may be prescribed, or determined from time to time.

(3) Every rule made under this Act shall be laid before the Legislative Assembly.

Powers to remove difficulties. **11.** (1) If any difficulty arises in implementing the provisions of this Act, the State Government may, by order published in the Official Gazette, make such provisions not inconsistent with the letter and spirit

of this Act, as appear to it to be necessary or expedient for removing the difficulty:

Provided that no such order shall be made after the expiry of two years from the date of commencement of this Act.

(2) Every order made under this Section shall, as soon as after it is made, be laid before the Legislative Assembly.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, नवा रायपुर अटल नगर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2025.